राजस्थान में बाल विवाह

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि **राज्य में कोई भी बाल विवाह न हो** और यदि **ऐसे विवाह होते हैं तो ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।**

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय का आदेश **10 मई 2024** को अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया, क्योंकि राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह संपन्न होते हैं।
- न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली **जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस** की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं।
  - **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** की **धारा 11** के तहत, यदि सरपंच और पंच लापरवाही से बाल विवाह को रोकने में विफल रहते हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्त्तव्य सरपंच पर डाला गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- इस अधिनियम ने **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929** का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था।
- बाल विवाह में बच्चे का तात्पर्य **21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष** और **18 वर्ष से कम उम्र की महिला** से है।

संबंधित पहल:

- **धनलक्ष्मी योजना:** यह बीमा कवरेज के साथ एक बालिका के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
  - इसका उद्देश्य **माता-पिता को चिकित्सा खर्चों के लिये बीमा कवरेज की पेशकश** और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके समाज में **बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना** भी है।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP):** इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/child-marriages-in-rajasthan